रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 1970/वैशाख 2, 1892

No. 70] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 1970/VAISAKA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 21st April 1970

No. 3(1)/69-P&P.—Under their Resolution No. 3(1)/68-P&P dated the 18th August, 1969 the erstwhile Ministry of Foreign Trade and Supply had notified the revised terms of reference, constitution, etc. of the Board of Trade which was initially constituted for a period of two years from 1st January, 1968 *vide* Resolution No. 3(1)/67-BOT dated the 13th January, 1968. Since the present tenure of the Board ended on the 31st December, 1969, the Government of India have decided to reconstitute it for a further period of two years effective from 1st January, 1970.

The terms of reference, constitution etc. of the new Board of Trade will be as under—

2. *Constitution.*—The Board of Trade will be a compact body consisting of about 37 members as shown in the Schedule Annexed. It will be presided over by the Minister of Foreign Trade and in his absence by the Deputy Minister of Foreign Trade. The Secretary, Ministry of Foreign Trade will function as its Executive Vice-Chairman.

The Board of Trade will have two Secretaries *viz.* (1) Joint Secretary, Export Promotion, Ministry of Foreign Trade and (2) The Chief Controller of Imports and Exports. The Secretaries of the Board will be assisted in the discharge of their

duties by the Director/Deputy Secretary, in charge of the Policy and Planning Section of the Ministry of Foreign Trade.

Members of the Board will hold office for two years at the end of which it will be reconstituted. The present tenure of the Board will expire on 31st December 1971.

3. *Terms of Reference.*—The Board will concern itself mainly with problems and policies relating to the development of country's Foreign Trade and make recommendations to Government from time to time, with particular reference to:—

(i) expansion of production bearing on import savings and export earnings;

(ii) product development and adaptation with a view to the expansion of overseas sales;

(iii) improvements in export marketing mechanism and media, including the extension of State Trading; and

(iv) provision of commercial services for the benefit of the commercial community with special regard to export programme.

4. The Board shall have powers to co-opt members, not exceeding five, for stated periods. The Chairman of the Board may also invite (specially) to the meetings of the Board such other persons as may be considered necessary from time to time.

5. The headquarters of the Board will be in New Delhi; they may meet at any place in India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Board of Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SCHEDULE

Members of the Board of Trade

Minister of Foreign Trade—*Chairman*

Deputy Minister of Foreign Trade—*Deputy Chairman*

Secretary, Ministry of Foreign Trade—*Executive Vice-Chairman*

II. *Members of Parliament*:

Shri P. K. Vasudevan Nair.

Shri R. P. Khaitan.

III. *Representatives of Commercial and Industrial Organisations: Ex-Officio.*

President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry—Shri D. C. Kothari.

President, Associated Chamber of Commerce and Industry of India—Shri K. Mahindra.

Chairman, Federation of Indian Export Organisations—Shri P. A. Nairelwala.

President, Indian Banks Association, Bombay—Shri R. B. Shah.

President, Indian National Steamship Owners Association, Bombay—Shri Vasant J. Sheth.

President, Travel Agents Association of India—Shri Arvind N. Parikh.

Director General of National Council of Applied Economic Research—Shri S. Bhoothalingam.

IV. *Representatives of Public Sector Trading Organisations: Ex-Officio.*

Chairman, State Trading Corporation—Shri P. L. Tandon.

Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation—Shri R. R. Bahl.

Chairman, National Industrial Corporation—Shri K. B. Rao.

V. *Non-Official Members:*

Shri Birla, K. K.
Shri Charat Ram.
Shri Goenka, R. P.
Shri Jajodia, K. K.
Shri Kirloskar, S. L.
Shri Modi, K. N.
Shri Mohd. Yusuf.
Shri Moolgaokar, S.
Shri Mammen Mappillai, K. M.
Shri Ramanujam, G.
Shri Rasesh N. Mafatlal.
Shri Santokh Singh.
Shri Santosh Kanoria.

VI. *Representative of Reserve Bank of India, Bombay: Ex-Officio.*

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay—Shri B. N. Adarkar.

VII. *Official representatives: Ex-Officio.*

Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food and Agriculture—Shri T. P. Singh.

Secretary, Department of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs—Shri T. Swaminathan.

Secretary, Ministry of Steel and Heavy Engineering—Shri R. C. Dutt.

Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance—Dr. I. G. Patel.

Secretary, Planning Commission—Shri A. Mitra.

Additional Secretary, Ministry of Foreign Trade—Shri C. S. Ramachandran.

Director General of Public Enterprises, Ministry of Finance—Shri A N Banerji.

Secretaries

Joint Secretary, Export Promotion, Ministry of Foreign Trade—Shri A. C. Banerjee.

Chief Controller of Imports and Exports—Shri R. J. Rebello.

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली 21 अप्रैल 1970

सं 3(1)/69 पी० एण्ड पी०.—अपने संकल्प सं० 3(1)/68—पी० एड० पी०, दिनांक 18 अगस्त, 1969 के अन्तर्गत भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय ने, व्यापार बोर्ड के, जिसे संकल्प सं० 3(1)/67—पी० ओ० टी०, दिनांक 13 जनवरी, 1968 के द्वारा प्रारम्भ में 1 जनवरी, 1968 से दो वर्ष के लिए गठित किया गया था, संशोधित विचारार्थ-विषय, गठन आदि को अनुसूचित किया था। चूंकि बोर्ड का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हो चुका है, अतः भारत

सरकार ने 1 जनवरी, 1970 से दो वर्ष की और अवधि के लिए इसे पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया है ।

नये व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय, गठन आदि निम्नलिखित होंगे :-

2. गठन व्यापार बोर्ड, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित लगभग 37 सदस्यों का एक सुसंहत निकाय होगा । इसकी अध्यक्षता विदेशी व्यापार मंत्री तथा उनकी अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार उप-मंत्री करेंगे । विदेशी व्यापार मंत्रालय के सचिव इसके कार्यपालक उपाध्यक्ष होंगे ।

व्यापार बोर्ड के दो सचिव होंगे अर्थात् (1) संयुक्त सचिव निर्यात संवर्धन, विदेशी व्यापार मंत्रालय तथा (2) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक/बोर्ड के सचिवों की, उनके कर्तव्यों के पालन में विदेशी व्यापार मंत्रालय के नीति तथा आयोजना अनुभाग के प्रभारी निदेशक/उप-सचिव द्वारा सहायता की जायेगी ।

बोर्ड के सदस्य अपने पदों पर दो वर्ष की अवधि के लिए रहेंगे जिसकी समाप्ति पर इसका पुनर्गठन किया जायेगा । बोर्ड का वर्तमान कार्यकाल 31/12/1970 को समाप्त होगा ।

3. विचारार्थ विषय : बोर्ड मुख्यतः देश के विदेशी व्यापार के विकास से सम्बन्धित समस्याओं तथा नीतियों पर विचार करेगा और समय - समय पर सरकार को निम्नोक्त विषयों के विशेष संदर्भ में सिफारिशें करेगा :—

(1) आयात में बचत और निर्यात उपार्जनों के संदर्भ में उत्पादन का विस्तार ;

(2) विदेशी बिक्रियों के विस्तार की दृष्टि से उत्पादों का विकास तथा अनुकूलन ;

(3) राज्य व्यापार निगम के विस्तार सहित निर्यात विपणन व्यवस्था तथा माध्यम में जिसमें राज्य व्यापार का विस्तार शामिल है सुधार ; और

(4) व्यापारिक समुदाय के लाभार्थ, विशेषतः निर्यात कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक सेवाओं की व्यवस्था ।

4. बोर्ड को निश्चित अवधियों के लिए पांच से अनधिक सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा । बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें समय-समय पर आवश्यक समझा जाये, बोर्ड की बैठकों में (विशेष रूप से) आमंत्रित कर सकता है ।

5. बोर्ड का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा, और उनकी बैठक भारत में किसी भी स्थान पर हो सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत राजपत्र में सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

अनुसूची

व्यापार बोर्ड के सदस्य

विदेशी व्यापार मंत्री	— अध्यक्ष
विदेशी व्यापार उप-मंत्री	— उपाध्यक्ष
सचिव, विदेशी व्यापार मंत्रालय	— कार्य पालक उपाध्यक्ष।

2. संसद सदस्य

श्री पी० के० वासुदेवन नायर
श्री आर० पी० संतान

3. वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि :
पदेन

सभापति, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ
— श्री डी० सी० कोठारी

सभापति, भारत के वाणिज्य तथा उद्योग का संयुक्त मण्डल
— श्री के० महिन्द्रा

अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ — श्री पी० ए० नाइरेलवाला

प्रधान, भारतीय बैंक संघ, बम्बई — श्री आर० बी० शाह

प्रधान, भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ, बम्बई
— श्री वसन्त जे० सठे

प्रधान, भारत के यात्रा एजेंटों का संघ — श्री अरविन्द एन० पारिस

व्यावहारिक अर्थ गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद के महानिदेशक
— श्री एस० भूतलिंगम

4. लोकक्षेत्र व्यापार संगठन के प्रतिनिधि :—

पदेन

अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम	— श्री पी० एल० टंडन
अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम	— श्री आर० आर० बहल
अध्यक्ष, राष्ट्रीय औद्योगिक निगम	— श्री के० ए० राव

5. सरकारी सदस्य

श्री बिड़ला, के०के०

श्री चरत राम

श्री गोयनका, आर० पी०

बाजोदिया, के०के०

श्री किरलोस्कर, एस० एल०

श्री मोदी, के० एन०

श्री मोहम्मद युसफ

श्री मूलगावकर, एस०

श्री जयेश मापिल्ले, के० एम०

श्री रामाजुजम, जी

श्री राजेष एम० मफतलाल

श्री संतोख सिंह

श्री संतोष कनोरिया

6. भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के प्रतिनिधि—पदेन

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई
— श्री बी० एन० अदारकर

7. सरकारी प्रतिनिधि : पदेन

सचिव, कृषि, विभाग, खाद्य, तथा कृषि मंत्रालय
— श्री टी० पी० विसह

सचिव, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य विभाग
— श्री टी० स्वामीनामम

सचिव, इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय
— श्री आर० सी० दत्त

सचिव, अर्थ-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय — डा० आई० जी० पटेल

सचिव, योजना आयोग — श्री ए० मित्रा

अपर सचिव, मंत्रालय] — श्री सी० एस० आत्मचन्नन

लोक उद्यमों के महानिदेशक, वित्त मंत्रालय — श्री ए० एम० बनर्जी

सचिव

संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन, विदेशी व्यापार मंत्रालय (श्री ए० सी० बनर्जी) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक (श्री आर० जे० रोबेलो) ।

ए० सी० बनर्जी,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970